768/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	
05/12/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्रार्थी एकपक्षीय। विप्रार्थी अधिवक्ता जवाब पेश करने हेतु एक और अवसर चाहे रहे है। जबकि पूर्व में पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं कए जाने के कारण जवाब बन्द किया जाता है। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की घोषणा,बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी/वादी माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किंए जाने का ऐसा कोई औचित्य पूर्ण कारण सामने नहीं आया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	